

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
खीरी।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 1137 / निर्वा0 लोक प्राधिकारी

दिनांक 22 सितम्बर, 2017


विषय- लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3593/सी0ई0ओ0-1-105/1-2005 दिनांक 14 सितम्बर 2017 के अनुपालन में लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये प्रमाण पत्र संलग्नक प्रारूप पर तैयार कर सूचना सादर प्रेषित है।

जिला निर्वाचन कार्यालय का नाम:- लखीमपुर - खीरी।


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या व तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3
मैनुअल की सं0-4 - 22.09.2017	शून्य	शून्य


जिला निर्वाचन अधिकारी
खीरी।

संख्या व दिनांक तदैव।


प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।




जिला निर्वाचन अधिकारी
खीरी।

तारिका (1)

Sl.No	NAME	DESIGNATION	APPOINTMENT DATE	WORK DISTRIBUTION	MOBILE
1	NAND RAM	ADEO	13-10-1992	OFFICE INCHARGE	9454418069
2	INDU SAXENA	SR. ASSISTANT	03/11/1993	ESTABLISHMENT	9506906547
3	GIRIWAR PARASAD	SR. ASSISTANT	08/12/1997	CASHIER	9839892271
4	RAJESH KUMAR VERMA	SR. ASSISTANT	15-12-1997	STORE	9005741000
5	ALOK BHARTI	JR. ASSISTANT	14-06-2006	REVISION	9450361923
6	VIKAS VERMA	JR. ASSISTANT	15-11-2011	DISPATCH	9984551820
7	DHANPATI DEVI	PEON	27-11-2006	PEON	9005455813
8	MIHILAL	CHAUKIDAR	30-08-1995	CHAUKIDAR	9451236050


सहायक शिक्षा निर्वाचन अधिकारी
खीरी ।


तालिका (2)

Sl.No.	NAME	Salary August- 2017	D.A	CCA	HRA	Children Allowance	Computer Allowance	Total
1	NAND RAM	53600.00	2144.00	120.00	-	-	-	55864.00
2	INDU SAXENA	43600.00	1744.00	120.00	1220.00	-	-	46684.00
3	GIRIWAR PARASAD	42300.00	1692.00	120.00	-	210.00	-	44322.00
4	RAJESH KUMAR VERMA	42300.00	1692.00	120.00	1220.00	250.00	300.00	45882.00
5	ALOK BHARTI	30500.00	1220.00	80.00	720.00	-	300.00	32820.00
6	VIKAS VERMA	26800.00	1072.00	80.00	720.00	-	-	28672.00
7	MIHILAL	33300.00	1332.00	80.00	890.00	-	-	35602.00
8	DHANPATTI DEVI	23500.00	940.00	50.00	660.00	-	-	25150.00

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
खीरी।

तालिका (3)

क्र०स०	अधिकार का नाम	पदनाम	अपीलीय अधिकारी	मोबाइल नं०
1	श्री आकाश दीप	जिला निर्वाचन अधिकारी		94544417558
2	श्री नन्द राम	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	94544418069


 सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
 खीरी।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी।

अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

(1) (ख)

i	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य—	जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी तथा लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करता है।
ii	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य—	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है।
iii	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है—	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यों का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
iv	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान—	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
v	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख—	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका एवं समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाता है।
vi	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण—	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
vii	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं—	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तैयारी की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।

- शून्य -

	ऐसे बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण-	
ix	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका -	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर की सूची संलग्न हैं। (तालिका-1)
x	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो-	अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की सूचना संलग्न है। (तालिका-2)
xi	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, छपाई, मतदाता फोटो पहचान-पत्र और समय-समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों से सम्बन्धित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
xii	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं -	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
xiii	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं की विशिष्टियां-	- शून्य -
xiv	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों-	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpardesh.nic.in पर उपलब्ध है।
xv	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं-	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, खीरी (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रातः 10-00 बजे से सांय 5-00 बजे तक)

i	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां-	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियों संलग्न है। (तालिका-3) कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क जनसमान्य द्वारा किया जा सकता है।
xvii	ऐसी अन्य सूचनाएँ जो विहित की जायें-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अपडेट की जाती हैं।


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
खीरी।